

न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 67 / 2024(GCMS : 2024/75)

आवास फाईनेंसर्स लि. (Formely known as AU Housing Finance Ltd.) पंजीकृत कार्यालय- 201-202, Second Floor, Southend Square Mansarovar Industrial Area, Jaipur शाखा कार्यालय नजदीक राजस्थान पत्रिका मार्ग, आईसीआईसीआई कम्पनी के ऊपर, शिव चौक, श्रीगंगानगर जरिये प्राधिकृत अधिकारी/एरिया कलैक्शन मैनेजर प्रेम सुथार

बनाम

1. सतनाम सिंह पुत्र श्री जोगेन्द्र सिंह, जाति बाजीगर निवासी वार्ड नं. 20, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
2. परमजीत कौर पत्नी श्री सतनाम सिंह पुत्री श्री गुरमीत सिंह जाति बाजीगर निवासी वार्ड नं. 20 सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
3. सरवन सिंह पुत्र श्री जोगेन्द्र सिंह, जाति बाजीगर निवासी वार्ड नं. 20 सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर



27.05.2024

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता मनीष कुमार भारद्वाज ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 29.04.2024 प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण सतनाम सिंह, परमजीत कौर एवं सरवन सिंह को ऋण सुविधा के रूप में राशि 8.55/- लाख रुपये (दिनांक 21.09.2020 को 6.50/- लाख रुपये एवं दिनांक 23.04.2022 को 2.05/-लाख रुपये) के ऋण राशि की स्वीकृति प्रदान की थी। अप्रार्थीगण के खाते में दिनांक 03.02.2024 तक की बकाया राशि 7,48,162/- रुपये थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी सतनाम सिंह द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति आवासीय भूखण्ड (पट्टा नं. 824) (क्षेत्रफल 109.77 वर्गगज) वार्ड नं. 20, सादुलशहर, श्रीगंगानगर, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलया जाने की प्रार्थना की है।

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण सतनाम सिंह, परमजीत कौर एवं सरवन सिंह को ऋण/सुविधा के रूप में दिनांक 21.09.2020 को राशि 6.50/- लाख रुपये एवं

जिला मजिस्ट्रेट  
श्री गंगानगर

दिनांक 23.04.2022 को 2.05/- लाख रुपये कुल राशि 8.55/- लाख रुपये (आठ लाख पच्चपन हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी सतनाम सिंह ने अपनी अचल सम्पत्ति आवासीय भूखण्ड (पट्टा नं. 824) (क्षेत्रफल 109.77 वर्गगज) वार्ड नं. 20, सादुलशहर, श्रीगंगानगर, प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 03.02.2024 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये थे, रजिस्टर्ड डाक से धारा 13(2) के नोटिस भिजवाने की रसीद एवं ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील हो चुकी है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में अप्रार्थी सतनाम सिंह की अचल सम्पत्ति आवासीय भूखण्ड (पट्टा नं. 824) (क्षेत्रफल 109.77 वर्गगज) वार्ड नं. 20, सादुलशहर, श्रीगंगानगर, जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबंध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 07.02.2024 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 07.02.2024 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस, अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 09.02.2024 को भिजवाये गये थे, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है। धारा

13(2) के नोटिस प्राप्त के ऑनलाईन ट्रैक भी पत्रावली में उपलब्ध है। जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने धारा 13(2) के नोटिस का प्रकाशन दो समाचर पत्रों दैनिक नवज्योति एवं दी इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 09.02.2024 को करवाया है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नहीं करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी सतनाम सिंह द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपत्तियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी आवास फाईनेन्सर्स लिमिटेड का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी ऋणी सतनाम सिंह द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति आवासीय भूखण्ड (पट्टा नं. 824) (क्षेत्रफल 109.77 वर्गगज) वार्ड नं. 20, सादुलशहर, श्रीगंगानगर, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। सहायता उपलब्ध करवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति पर किसी भी न्यायालय में विवादित अथवा स्थगन से प्रभावित तो नहीं है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तर्तीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 27.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकबन्धु)  
जिला मजिस्ट्रेट  
श्री अमानगर